तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज शैतानसिंह बनाम लो.सू.अ. लो.सू.अधिकारी (सहायक कलक्टर, फास्ट ट्रक जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 200/2023 ( )	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14.08.23	अपीलार्थी शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह, निवासी प्लॉट नं. 15, गोपालवाडी, होटल गढगोविन्द के पास, चौपासनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 19.05.23 में उसके द्वारा (1) ग्राम पंचायत हनवंतनगर के पूर्व ग्राम विकास अधिकारी पन्नालाल धुमड़ा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत् दिनांक 20.04.23 को शैतानसिंह पुत्र रतनसिंह द्वारा जिलाधीश जोधपुर को पेश शिकायत पर की गई सम्पूर्ण कार्यवाही की प्रमाणित प्रतिं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक,कलक्टर कार्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 935 दिनांक 03.08.23 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग एवं आवक लिपिक कार्यालय हाजा से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी को इस कार्यालय के पत्रांक 808 दिनांक 06.07.23 द्वारा सूचित किया जा चुका है कि आवेदन पत्र में वर्णित प्रार्थना पत्र दिनांक 20.04.23 का कार्यालय की आवक पंजिका में निरीक्षण करने पर वाछित प्रार्थना पत्र कार्यालय में आना नहीं पाया गया है जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्राप्त होना नहीं पाये जाने से सूचना दिया जाना संभव नहीं है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)	